न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 93/2022
GCMS CASE NO-2022/93

1. माडूराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. जोतराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

.............रेस्पोडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि0

उपस्थिति:–
1. श्री अमित कुमार सैनी, रामनारायण जालप अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–::निर्णय::–– दिनांक 12.8.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न है। अपीलान्ट के नाम से वाके चक 4 बी.जे.डब्ल्यू. पटवार हल्का भोजेवाला जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 जमाबन्दी 2077 वर्ष 2021 के खाता संख्या 59/1 के पत्थर नम्बर 70/3 मु0न0 7 मे किला नम्बर 1 ता 23 मे 2.177 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व इसी खाता के पत्थर नम्बर 70/4 मु0न0 17 मे किला नम्बर 1 ता 4, 8,9,10/2, 11/2, 20/2, 25/2, मे 2.911 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। इसी अनुसार रेस्पो0 1 के नाम से वाके चक 4 पी. जी.डब्ल्यू. पटवार हल्का भोजेवाला जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 जमाबन्दी 2077 वर्ष 2021 के खाता संख्या 15/2 के पत्थर नम्बर 20/4 मे मु0न0 17 मे किला नम्बर 5 ता 7, 10,14,15,16,17,18,23/2,24/2 व पत्थर नम्बर 70/11 मु0न0 6 किला नम्बर 19,20/1, 22 व पत्थर नम्बर 70/12 मु0न0 18 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 मे 5.7630 है0 अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अपीलान्ट व रेस्पो0 दोनो की भूमि वाके चक 4 बी.जे.डब्ल्यू. भोजेवाला के पत्थर नम्बर 70/4 मे होने के कारण दोनो का अपने अपने किला काश्त मे काफी असुविधा का सामना करना पड रहा था। जिसके लिए अपीलान्ट व रेस्पो मे मध्य एक लिखित करार बाबत आपसी सहमति(सहमति तबादला बाबत) स्टाम्प पर दिंनाक 1/07/2013 को लिखी गई। जिसमे अपीलान्ट ने अपने नाम के किले वाके चक 4 बी.जे.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 70/4 के किला नम्बर 4 व 25 कुल 2 बीधा बारानी दोयम को रेस्पो.स01 को तबादले मे दिए थे। तथा बदले मे रेस्पो.स01 के नाम से पत्थर नम्बर 70/4 के किला नम्बर 13 व 18 का कब्जा प्राप्त किया था। इस सहमति पत्र पर रेस्पो0स01 ने अपनी सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर भी किए तथा बाद मे दो गवाहो की उपस्थिति मे उक्त सहमति पत्र को नोटेरी से तस्दीक करवाया गया था। उक्त तबादला अनुसार अपीलान्ट व रेस्पो0स01 तबादला अनुसार भूमि पर काश्त करते आ रहे है। जैर प्रकरण भूमि मे रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट पर 183 बी की कार्यवाही की गई। जिस पर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा पटवारी रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए। बिना कानूनी प्रकिया अपनाते हुए, बिना अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए एक तरफा आदेश पारित किया है। जो निम्न कारणो से खारिज किए जाने योग्य है जैर अपील आदेश पारित करते समय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा 183 बी राजस्थान का तकारी अधि0 की कार्यवाही की प्रकिया को अनदेखा करते हुए सीधा ही एक तरफा अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया है जो कानून विपरीत होने से खारिज किए जाने योग्य है। तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा अपीलान्ट को अपने पक्ष मे स्बूत पेश करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने को कोई मोका नही दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से जैर अपील आदेश खारिज योग्य है। रेस्पो/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे कही भी अंकित नही किया है कि अपीलान्ट/अप्रार्थी उसके नाम की भूमि पर किस दिंनाक से काबिज है और ना ही रेस्पो/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि रेस्पो/प्रार्थी के मध्य दिंनाक 1/7/2013 को आपसी सहमति से तबादला पत्र लिखा गया था। जिसमे अपीलान्ट व रेस्पो0 ने आपस मे भूमि का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

तबादला किया था। रेस्पो/प्रार्थी ने अपने अपने प्रार्थना पत्र मे यह भी नही बताया है कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने रेस्पो/प्रार्थी को किस दिंनाक से व किस तरह अपनी भूमि से बेदखल कर दिया। जैर अपील भूमि पर सहमति तबादला पत्र अनुसार अपीलान्ट व रेस्पो0 ने अपनी काश्त कर रखी है। किन्तु तहसीलदार द्वारा इस बावत कोई जांच नही की गई। केवल अपने ही कयासो पर उक्त पत्रावली को फैसला करते हुए अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिकमी घोशित कर दिया तथा बेदखली का आदेश पारित कर दिया। जो कि काबिल खारिजी के है। उक्त प्रकरण मे मातहत न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाने हेतू लिखा जाकर आदेशित किया गया कि मौका जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट अपनी अनुशंसा सहित पेश करे कि कौन व्यक्ति किस भूमि पर किस हैसियत से काबिज है। किन्तु हल्का पटवारी द्वारा मौका पर जाकर रिपोर्ट नही की गई। केवल अपन दफतर मे बैठकर ही अपने क्यासो से रिपोर्ट बना दी। हल्का पटवारी द्वारा कोई दैनिक डायरी नही लिखी गई है। अगर हल्का पटवारी मौका पर जाता तो दैनिक डायरी भरता और अपीलान्ट व रेस्पो0 को निश्चित दिंनाक व समय को मौका पर पंहुचने हेतू नोटिस जारी करता। गिरदावर ने भी हल्का पटवारी की रिपोर्ट की कोई जांच नही की और सिधे ही रिपोर्ट पटवारी उचित है। लिख कर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जब मातहत न्यायायल द्वारा हल्का पटवारी को आदेशित किया गया था कि वे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करे। हल्का पटवारी ने आधी-अधुरी रिपोर्ट पेश की है और हल्का पटवारी ने अपने रिपोर्ट मे आपसी सहमति से भूमि का तबादला होने का जो कथन किया है इस कथन पर भी मातहत न्यायालय ने फैसला करने से पूर्व पटवारी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नही दिया और जैर अपील आदेश पारित कर दिया। जो खारिज किए जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 183 बी (5) मे इस सम्बन्ध मे प्रावधान किया गया है कि संक्षिप्त कार्यवाही मे तनकीयात आदि बनाने कि आवश्यकता नही है। मगर इसका यह तात्पर्य नही है,उसे प्रमाणित आदि तो किया जाना चाहिए एवं अप्रार्थी या स्वयं गवाह के रूप मे उपस्थित होकर भापथ पूर्वक बताए कि वह रिकार्डड काश्तकार है एवं आराजी पर से उसे प्रार्थी ने किस तारीख को एवं किस प्रकार बेदखल कर दिया, केवल मात्र प्रार्थना एवं जबाब के आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही कहा जा सकता। मातहत न्यायालय ने जैर प्रकरण मे आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट व रेस्पो0 की बहत ही नही सुनी अपने फर्दअहकाम दिंनाक 21.06.2022 मे यह लिख दिया कि पत्रावली का सरसरी अवलोकन किया गया पत्रावली वास्ते निर्णय हेतू दिंनाक 24.06.2022 को पेश हो। मातहत न्यायालय ने दिंनाक 24.06.2022 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे उक्त जैर अपील फैसला सुना दिया। जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत करके निवेदन है कि जैर अपील आदेश दिंनाक 24.06.2022 के द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिकमी घोषित कर बेदखली को जो आदेश फरमाया है को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को दोनो पक्षो को पुनः सुन कर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु आदेश किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 1 ही जाति (नायक) से है। व एक ही गांव मे निवास कर के खेत पडौसी है। रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलान्ट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत किया की अपीलान्ट उसकी भूमि वाके चक 4 बी.जे.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 70/4 के किला नम्बर 4 व 25 पर अपीलान्ट अतिकमी की हेसियत से काविज है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का मौका ना देकर, राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 183 बी मे अपनाए जाने वाले नियमो को ना अपनाकर सरसरी तौ पर पत्रावली का निर्णय कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 183 बी (5) मे स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केवल मात्र प्रार्थना पत्र एवं जबाब के आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोजित नही कहा जा सकता। इस सम्बन्ध मे जो अधिनिरथ न्यायालय ने पक्षकारान की साक्ष्य दर्ज किये बिना ही बेदखल का आदेश पारित कर दिया, ऐसे आदेश का समर्थन नही किया जा सकता। मातहत न्यायालय ने पक्षकारो के मौखिक या लिखित साक्ष्य नही लिए। जबकि यह प्रकिया आवश्यक रूप से अपनाई जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 183 बी (5)मे स्पश्ट किया गया है कि संक्षित जांच द्वारा मामले को निपटाना विहित किया गया है,फिर भी दुसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देकर उसकी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेनी होगी। केवल आवेदन और उत्तर के आधार पर अतिचारी को बेदखल करना न्यायोचित नही है। राजस्थान का तकारी अधि0 की धारा 183बी के अन्तर्गत संक्षित जांच के आधार पर ही आदेश पारित किया जाता है, जैसा कि आर.आर.डी. 1985 पेज 446 भांकरलाल बनाम भज्जा मे प्रतिपादित किया गया है कि संक्षिप्त कार्यवाही मे तनकीयात आदि बनाने की आवश्यकता नही है, किन्तु साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना आव यक है। ताकि वह अपना पक्ष रख सके। श्रीमान जी

तिरिक्त जिला कलक्टर
रतगढ (जिला-श्री गंगानगर)

1052

Signature Not Verified

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट को नो तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया और ना ही बहस करने को कोई मौका दिया। इस लिए मातहत न्यायालय को आदेश खारिज किया जाने योग्य है। (राज0 का त0 अधि0 पेज 390,395,387) धारा 183 बी मे वह व्यक्ति अतिकमी है जो बिना विधिक अधिकार से भूमि पर काबिज है। लेकिन रेस्पो0 ने तो लिखित मे मुझ अपीलान्ट को यह दो बिघा भूमि तबादले मे देकर मेरी दो बिघा भूमि बदले मे लेकर उस पर स्वयं काश्त कर रहा है। लेकिन इस पर मातहत न्यायालय ने कोई ध्यान नही दिया। अपीलान्ट रेस्पो0 की भूमि पर अतिकमी की हेसियत से काबिज ना होकर रेस्पो0 की अनुमति होने पर उसकी भूमि पर काबिज है। तबादला ईकरार दोनो पक्षो की उपस्थिति मे लिखा गया था। जिस पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर है। व गवाह भी तबादला ईकरार मे बनाए गए है। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा अपनी भूमि तबादले मे देकर अब उस बात से मुकर्र नही सकता। रेस्पो0 संख्या 1 ने मातहत न्यायालय मे कही भी साबित नही किया कि अपीलान्ट ने उसे किस तरीके से उसके भूमि से जबरिया बेदखल कर दिया व किस दिनांक को बेदखल किया। जबकि धारा 183 बी की यह आवश्यक शर्त है कि प्रार्थी न्यायालय मे यह साबित करे की अप्रार्थी ने उसे उसकी भूमि से जबरिया बेदखल कर दिया। मातहत न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नही किया और पत्रावली का निर्णय सम्बन्धित नियमो से बाहर जाकर कानून विपरीत कर दिया। इस लिए मातहत न्यायालय का आदेश खारिज फरमाया जावे। जहां तक तबादला सहमति पत्र का अपंजीकृत होने की बात है। तो राजरथान काश्तकारी अधि0 मे धारा 183 मे खुल कर विवरण किया गया है कि ,, वादी ने अनरजिस्टर्डकृत बंधक पत्र मे प्रतिवादी को कब्जा दिया, पर उसमे अवधि भी नही बताई गई थी। अनरजिस्टर्डकृत दस्तावेज साक्ष्य मे ग्रहण नही किया जा सकता, परन्तु उससे आनुषंगिक (सहायक) प्रयोजन के लिए तथा कब्जे का स्वरूप जानने के लिए प्रयोग मे लाया जा सकता है। अभिनिर्धारित कि– प्रतिवादी का कब्जा अतिचारी का कब्जा नही था। वादी प्रतिवादी को बेदखल करने के अपने अधिकार को साबित नही कर पाया।अतः वाद सही रूप से खारिज किया गया,,। किन्तु मातहत न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नही फरमाया जब रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि का कब्जा लिखित रूप मे अपीलान्ट को दिया है तो फिर अपीलान्ट किस प्रकार से अतिकमी हो सकता है। अपीलान्ट ने उक्त बिघो पर अपनी ढाणी बना रखी है और अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। अगर उक्त बिघो मे से अपीलान्ट को निष्काशित किया जाता है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट को आवश्यक था कि वह मातहत न्यायालय मे साबित करे की अपीलान्ट इस तरीके से अतिकमी है। लेकिन रेस्पो0 ने ऐसा कुछ साबित नही किया और मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिकमी घोशित कर दिया। मातहत न्यायालय द्वारा जो कानूनी प्रकिया अपनाई जाने थी। वह नही अपनाई गई। कोई भी न्यायालय कानून से से या नियमो से बाहर जाकर आदेश पारित नही कर सकते जिस से किसी पक्षकार के अधिकारो का हनन होता हो। धारा 183 मे बेदखली की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे बताया गया है:– जिसमे नियम 2 मे स्पष्ट बताया गया है कि सहायक कलक्टर पक्षकारो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। यह उपबंध नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त दुसरे पक्ष को सुनो पर आधारित है। इसका अर्थ है कि दोनो पक्षो को बुलाकर उन्हे अपने पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना। (पेज 387 सलंग्न है) मातहत न्यायालय की फर्दअहकाम दिनाक 06.09.2021 को देखा जावे तो उस फर्दअहकाम मे पक्षकारो को जबाब, साक्ष्य,बहस हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु पक्षकारो द्वारा साक्ष्य, बहस प्रस्तुत ना करने पर भी मातहत न्यायालय ने नियमो के विपरीत जाकर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। जो खारिज किये जाने योग्य है। मातहत न्यायालय मे अपीलान्ट ने अपना जबाब पेश किया था। उस जबाब को ना तो रिकार्ड पर लिया गया और ना ही फैसले मे उसका कोई विवरण किया गया। इस लिए मातहत न्यायलय का आदेश दिनाकः– 24.06.2022 खारिज किए जाने योग्य है। भारत का सविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सम्मान्ता का उल्लेख करती है। जिसका अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी को सम्मान रूप से देखा जाएगा। किन्तु अपीलान्ट के साथ ऐसा नही हुआ। जिस प्रकार से मातहत न्यायालय ने एक तरफा तौर पर पत्रावली का फैसला किया है उससे अपीलान्ट के विधिक अधिकारो का हनन हुआ है तथा अपीलान्ट को विधि के समक्ष सम्मान्ता प्राप्त नही हुई है। धारा 183 बी मे वादी द्वारा वाद हेतुक प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। मातहत न्यायालय ने इस बात पर कोई ध्यान नही दिया। पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन करने से साफ पता चलता है कि दोनो पक्षो ने भूमि का तबादला आपसी सहमति से किया है। कोई भी पक्षकार बिना विधिक अधिकार के भूमि पर काबिज नही है। जब रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने नाम की भूमि का कब्जा अपीलान्ट को अपनी सहमति से दिया है तो इस प्रकार से अपीलान्ट को भूमि मे से अतिकमी घोषित कर बेदखल करना कानून समत नही है। सहमति बंटवारानामा की मद संख्या 3 मे तबादले मे दी गई भूमि की खातेदारी होने के पश्चात उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने या तबादले की कार्यवाही की बात कही गई है। जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी सहमति भी व्यक्त की है। अब भूमि खातेदारी होने पर रेस्पो0 अपने द्वारा कहे गए कथनो से नही मुकर सकता। अपीलान्ट अपने पक्ष मे निम्न नजीरे प्रस्तुत कर रहा है:–आर.आर.डी. 1994 पेज 457,आर.आर.डी. 1996 पेज 84, आर.आर.डी. 1977 पेज 580, आर.आर.डी.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1977 पेज 381, आर.आर.टी. 2007 पेज 125, आर.आर.टी 2009 पेज 1329, इस सभी नजीरो मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय,माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने संक्षिप्त प्रकिया, वाद कारण, सहमति पत्र व कानूनी प्रक्रिया आवश्यक रूप से अपनाई जाने के सम्बन्ध मे विस्तृत उल्लेख किया है। अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान जी अपील व बहस मे अंकित तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर मातहत न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के आदेश दिंनाकः– 24.06.2022 को खारिज कर पत्रावली इस आशय के साथ रिमांड की जावे कि दोनो पक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पत्रावली का गुण दोश के आधार पर निर्णय किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की बहस का प्रतिउत्तरः– जिस प्रकार से रेस्पो0 संख्या 1 अपने कथनो से मुकर रहा है उससे साबित होता है कि रेस्पो0 न्यायालय को गुमराह करने की कौशिश कर रहा है। रेस्पो0 स्वयं ने तबादलानामा पर अपनी सहमति व्यक्त की है। जिसके अंगुठा निशान तबादलेनामे पर अंकित है। रेस्पो0 का यह कहना की केवल स्टाम्प पर लिख पढ कर देने से भूमि का तबादला नही हो जाता। तबादलेनामे की भाशा पढने पर साफ हो जाता है कि भूमि की खातेदारी प्राप्त होने पर रजिस्ट्री या तबादले की प्रक्रिया अपनाई जाने की बात कही गई है। जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी सहमति व्यक्त की है। जिस प्रकार से रेस्पो0 ने कानूनी नजीर आर. एल.डब्ल्यू. पेज 343 का हवाला देकर कथन किए है ये कथन इस अपील के तथ्यो पर लागू ही नही होते। इस नजीर मे अपंजीकृत करार को राजस्व न्यायालय मे सुनने के अधिकार क्षैत्र के बारे मे बताया गया है और इकरार के आधार पर खातेदारी ना प्रदान करने के बारे मे बताया गया है। जबकि अपील मे ऐसा कोई भी तथ्य नही है जिस पर यह नजीर लागू होती हो। इस लिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। सहमति बाबत जो स्टाम्प लिया जाता है यह कही भी प्रावधान नही है कि सहमति का स्टाम्प दोनो पक्ष खरीदेगे। एक पक्ष द्वारा स्टाम्प खरीदने पर दुसरा पक्ष उस मे अंकित तथ्यो पर अपनी सहमति जाहिर कर देने पर सहमति पत्र की प्रकिया पूर्ण मानी जाती है। जो इस अनरजिस्टर्ड तबादलानामा के आधार पर जो वास्तविक तबादलानामा उप–पंजीयक से अभी होनो भोश था। सहमति तबादला पत्र की भाशा पढने से साफ हो जाएगा कि वास्तविक तबादला उप–पंजीयक से होने के बाबत खातेदारी आने पर करवाने की बात कही गई है। किन्तु रेस्पो0 यह बात न्यायालय से छुपा रहा है। रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस मे कहा है कि अपीलान्ट सहमति तबादला पत्र की चित्रप्रति के आधार पर तबादला नही ले सकता। तो हम न्यायालय मे बताना चाहते है कि अपीलान्ट ने अपील मे सहमति तबादला पत्र की नोटेरी पब्लिक से सत्यापित चित्रप्रति प्रस्तुत कि है। जिसका मतलब है कि अपीलान्ट के पास मूल सहमति तबादला पत्र पडा हुआ है। न्यायालय जब भी आदेशित करेगा अपीलान्ट द्वारा अपील मे मूल सहमति तबादला पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा। रेस्पो0 द्वारा कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2003 पेज 530 अपील के तथ्यो पर लागू नही होती है। इस नजीर मे भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे उल्लेख किया गया है। जबकि अपील मे जैरवाद भूमि का हस्तान्तरण भविश्य मे उप–पंजीयक से होने शेष रहा है। सहमति तबादला पत्र की भार्तो के अनुसार खातेदारी होने पर भूमि की रजीस्ट्री या तबादला करवाने की बात कही गई है। जैरप्रकरण भूमि का कब्जा रेस्पो0 ने अपनी सहमति से अपीलान्ट को दिया है। जब कब्जा देने पर रेस्पो0 की सहमति थी तो अब अपीलान्ट अतिकमी कैसे हो गया। रेस्पो0 का यह कहना की रेस्पो0 अनपढ काश्तकार है गल्त है। रेस्पो0 बहुत ही होि ायार किस्म का व्यक्ति है। रेस्पो0 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे विभिन्न वाद व अपीले दायर कर रखी है। जो व्यक्ति हर रोज सूरतगढ न्यायालय मे और श्रीगंगानगर न्यायालय मे पैरवी करने जाता है। वह अनपढ कैसे हो सकता है। रेस्पो0 संख्या 1 ने ही मुझ अपीलान्ट के साथ सहमति तबादला पत्र का इकरार किया था जिसके हस्ताक्षर तबादला पत्र पर अंकित है और अब यही रेस्पो0 अपने हस्ताक्षर को पहचानने से रह गया है। इस से होशियार व्यक्ति तो कोई हो ही नही सकता। इस लिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उक्त अनवानी अपील में अपीलाट ने उतरवादी न 1 के नाम के चक 4 बी.जे.डब्ल्यु के पत्थर न 70/4 के किला न 13 व 18 के 0.506 हैक खातेदारी रकबा पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर रखा है तथा श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ ने उतरवादी के इस खातेदारी रकबा पर से अपीलाट को बेदखल कर कब्जा उतरवादी न 1 को दिलाये जाने का आदेश दिनांक 24.06.2022 को दिये है इस आदेश के खिलाफ अपीलाट ने अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने का अनूतोष चाहा है अपीलाट की अपील निम्न कारणो से खारीज योग्य है व तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय यथावत रखा जाने योग्य है उतरवादी न 1 चक 4 बी.जे.डब्ल्यु के पत्थर न. 70/4 के किला न 5 ता 7,13 ता 18 व 23/2 व 24/2 के 2.733 हैक रकबा का खातेदार काश्तकार है, इस रकबा मे से किला न 13 व 18 के 0.506 हैक रकबा पर अपीलाट अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है अपीलाट ने इस मे केवल यह आधार बनाया है कि उसका उतरवादी के साथ तबादलनामा दिनांक 10.07.2013 को किया हुआ है इस रकबा के बदले अपीलाट ने अपनी अपील मे बताया है कि उतरवादी न 1 को इसी पत्थर न. 70/4 के किला न 4 व 25 का रकबा दे रखा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

यह तथ्य अपीलाट ने बिल्कुल झुठा दर्ज करवाया है उत्तरवादी ने अपीलाट के साथ कोई तबादला नही किया अगर तबादला होता तो स्टाम्प दोनो पक्षकारो के नाम से खरीदा होता। इस प्रकरण में अपीलाट द्वारा प्रस्तुत तबादलानामा की फोटोप्रति के अनुसार अपीलाट खुद का ही स्टाम्प खरीदा हुआ है। अगर तबादला किया हुआ होता तो स्टाम्प दोनो के नाम से होते व अपीलाट ने तथाकथित तरीके से उत्तरवादी का तबादला दर्शाया है उत्तरवादी ने कभी भी अपीलाट के साथ तबादला नही किया व ना ही कभी तबादला के बाबत कोई लिखा पढी की इसलिये जब अपीलाट के साथ कभी भी कोई तबादला नही किया तो तबादला के बाबत सहमति देने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा तथाकथित तबादलानामा के दिन अपीलाट अपने नाम के पत्थर न. 70/4 के किला न. 4 व 25 का गैरखातेदार था। उसे खातेदारी अधिकार भी जरिये सनद सख्या 3056 दिनाक 21.02.2014 को प्राप्त हुये है इस अपील में प्रमाणित प्रति अपीलाट खुद ने पेश की है तथा एक गैरखातेदार को रकबा स्थानातंरण का अधिकार नही है। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 में तबादला का प्रावधान जिसके अनुसार एक वर्ग के आसामी ऐसी भूमियो का जो उन्होने एक ही भुमिधारी से प्राप्त की है उस भूमिधारी की सहमति से विनिमय कर सकते है इस प्रकार तबादला भूमिधारी की सहमति से ही किया जा सकता है इस प्रकरण मे वर्णीत रकबा का भू धारक तहसीलदार सूरतगढ है तथा तहसीलदार की सहमति ली गई हो ऐसा कोई भी साक्ष्य अपीलाट ने पेश नही किया धारा 48 व 49 के प्रावधानो की प्रति सलग्न बहस है इसलिये तथाकथित तबादलानामा के दस्तावेज की फोटो प्रति के आधार पर अपीलाट को इस रकबा पर काबिज रहने का अधिकार नही है इसलिये भी अपील खारीज योग्य है। काननूी नजर आरएलडब्लयू पेज 343 के अनुसार अपजीकृत करार के आधार पर दायर वाद को सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नही है व ना ही अपजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित किये जा सकते है। इसलिये तबादला जो तथाकथित तरीके से दर्शाया है कतई मान्य नही है। अपीलाट ने अपने तमाम रकबा पर जिसमें पत्थर न. 70/4 का किला न. 4 व 25 भामिल है, पर बैक ऋण ले रखा है अगर यह रकबा मुझ उत्तरवादी को तबादला में दिया होता तो स्वंय अपीलाट ऋण कैसे ले लेता। मुझ उत्तरवादी ने मेरे रकबा पर भी बैक ऋण प्राप्त किया है। केवल मात्र तथाकथित तबादलानामा के आधार पर मुझ उत्तरवादी के रकबा पर काबिज रहने का अधिकार अपीलाट को प्राप्त नही रह सकता इसलिये भी अपील अपीलाट खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपील मे लिखा है कि उसकी सुनवाई नही हुई जबकि अपीलाट की प्रोपर सुनवाई हुई है, अपीलाट ने स्वय ने मातहत न्यायालय मे इस तथाकथित तबादला पेपर की प्रति पेश की है उसने जवाब दिया व साक्ष्य पेश किये है तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण 2 वर्ष तक विचाराधीन रहा है। अपीलाट प्रकरण में वर्णित रकबा जो उत्तरवादी न. 1 का पुराना जदीद खातेदारी रकबा है पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा स्वंय कब्जा होना स्वीकार कर रहा है इसलिये अलग से कोई साक्ष्य लेने की आवश्यकता नही है मातहत न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण करके ही जैरअपील आदेश पारित किये है जो कतई परिवर्तन योग्य नही है। उत्तरवादी न. 1 अनुसुचित जाति का काश्तकार है अपीलाट भी अनुसुचित जाति का काश्तकार है परन्तु धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधी पुर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया हो चाहे वह अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति का हो तब भी 183 के प्रावधान लागू होगे। आरआरडी 2003 पेज 530 के अनुसार अनुसुचित जाति के किसी भी व्यक्ति की भूमि विक्रय पत्र द्वारा विधीवत् हस्तानातंरण नही हो जाता है तब तक लागू होती है। इस कानूनी नजीर में रकबा तथाकथित इकरारनामा से खरीदा हुआ था इस प्रकरण के तथ्य उपरोक्त इस प्रकरण पर लागू होते है। इसके अलावा आरआरडी 1996 पेज 120 के अनुसार भी एक अनुसुचित जाति के काश्तकार के रकबा पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण नही कर सकता है तथा अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के विरूद्व सरसरी जॉच करके उसे बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अनुसार तो अनुसुचित जाति के काश्तकार के रकबा पर अनुसुचित जाति का व्यक्ति भी अतिकमी कहलाता है। इसलिये भी अपीलाट चाहे अनुसुचित जाति का हो फिर भी उत्तरवादी उसे बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का हकदार होगा तथा उत्तरवादी प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये जिसमें की वह ऐसे कब्जा में रहा है जुर्माना के लिये ऐसी रकम देने का दाई होगा जो कि वार्षिक लगान से 50 गुणा तक हो सकेगी। आरआरटी 2009 पेज 1060 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 –बी– मृतक 'एन' की बेदखली हेतु आवेदन पेश किया – बेदखली हेतु आदेश पारित किया – यह तर्क स्वीकार योग्य नही है कि कार्यवाही पोषणीय नही है क्योकि दोनो पक्षकार अनुसुचित जनजाति के सदस्य है – 'एन' का अवैध कब्जा – भूमि 'के' के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी –' निर्णीत, समवर्ती निश्कर्शो में हस्तक्षेप करना उचित नही है। इस निर्णय में अनुसुयित जाति के व्यक्ति के रकबा पर अनुसुचित जाति का व्यक्ति ही काबिज था व न्यायालय ने बेदखली को सही माना। अपीलाट ने उत्तरवादी न 1 को इस रकबा के फसली फायदा से वंचित कर रखा है उत्तरवादी न 1 के कानुनी हको से अपीलाट ने वंचित कर रखा है, अपीलाट इस रकबा पर रेंक ट्रेसपासर है जिसे कभी बेदखल किया इसलिये मातहत न्यायालय ने निर्णय पूर्णतया विधी सम्मत तरीके से पारित किया है इसलिये भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अपील खारीज योग्य है। अपीलांट उतरवादी न. 1 अनपढ़ काश्तकार है तथा कृषि के साथ – साथ भेडा को भी चराता है अपीलाट ने कभी भी तबादला नही किया है अपीलाट जो कि बहुत ही चालाक होशियार व्यक्ति है वो पहले मेरे रकबा को हिस्सा पर काश्त करता था ठेके हिस्सा की लिखा पढ़ी की आड में मेरे से कोई अगूठा किसी खाली पेपर पर कभी लगवा लिया हो तो ऐसे दस्तावेज विधी सम्मत् कतई नही माने जा सकते है। मैने कभी भी तबादला नही किया जैर प्रकरण पत्थर न. 70/4 के किला न. 13 व 18 के कुछ रकबा पर ढ़ाणी व मवेशियो को रखने के लिये मकान बने हुये थे तथा अपीलाट पहले मेरा रकबा हिस्सा पर काश्त भी करता था सन् 2018 में उतरवादी ने अपीलाट को रोका तो वो कब्जा छोड़ने के लिये इन्कार हो गया पिछले 6 वर्षो से अपीलाट मुझ उतरवादी के रकबा पर विधी विरूद्व काबिज होकर फसली फायदा उठा रहा है मुझे मेरे रकबा से वचित कर रखा है मातहत न्यायालय का फैसला पूर्णतया विधी सम्मत् है इसलिये भी अपील अपीलाट खारिज योग्य है। उतरवादी न. 1 का रकबा विशेष आवटन की सुची में तथा सन् 2013 – 14 में तो उक्त रकबा गैरखातेदारी था विशेष आवटन की सुची में रहते हुये रकबा की गैरकानूनी तरीके से खातेदारी प्राप्त की है। उतरवादी न 1 के खातेदारी रकबा पर अपीलाट रेंक ट्रेसपासर है कानूनी रूप से ऐसे अतिकमी को कभी भी बेदखल किया जा सकता है। इसलिये भी अपील खारीज योग्य है। अतः मौखिक बहस के साथ साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है उतरवादी का अपीलांट के साथ कोई तबादला नही हुआ तबादला नामा रजिस्टर्ड नही है व अपीलाट अतिकमी की हैसियत से काबिज है उतरवादी को उसके खातेदारी रकबा पर काश्त करने से अपीलाट ने वचित कर रखा है मातहत न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधी सम्मत् है इसलिये अपील अपीलाट खारिज की जावे तथा अपीलाट को जैरप्रकरण रकबा से बेदखल कर तुरन्त कब्जा दिलवाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया अपीलांट द्वारा अपने नाम की चक 4 बीजेडब्ल्यू के प.न. 70/4 कि.न. 4, 25 की 2.00 बीघा भूमि के बदले चक 4 बीजेडब्ल्यू के प.न. 70/4 के कि.न. 13,18 की 2.00 बीघा भूमि का सहमति तबादला पत्र दिनांक 1.7.2013 (चित्रप्रति) उपपंजीयक से रजिस्टर्ड नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 में तबादला का प्रावधान जिसके अनुसार एक वर्ग के आसामी ऐसी भूमियो का जो उन्होने एक ही भुमिधारी से प्राप्त की है उस भूमिधारी की सहमति से विनिमय कर सकते है इस प्रकार तबादला भूमिधारी की सहमति से ही किया जा सकता है इस प्रकरण मे वर्णीत रकबा का भू धारक तहसीलदार सूरतगढ है तथा तहसीलदार की सहमति ली गई हो ऐसा कोई भी साक्ष्य अपीलाट ने पेश नही किया है इसलिये भी अपील खारीज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त करते हुए तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ भिजवाई जावे अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:59:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner